अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2015 – 16 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की ***परिशिष्ट 1.2 भाग क*** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का विन्यास ***परिशिष्ट 1.2 भाग ख*** में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां ***परिशिष्ट 1.3*** में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके 13 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में यह 21वां तथा जनसंख्या के संबंध में 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते 2001 में 2.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 12.5 प्रतिशत थी जोकि 29.50 की अखिल भारतीय औसत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2015 – 16 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 4,92,657 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.55 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। वर्ष 2015 – 16 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,65,204[1] है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ., आधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त सभी सुनिश्चित पदार्थों एवं दी गई समय अवधि में राज्य के भीतर प्रस्तुत सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां नीचे इंगित की गई हैं:

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	20.52	13.91	13.28	10.78	8.71
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,00,755.57	3,50,406.61	3,95747.73	4,41,864.26	4,92,657
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.40	16.51	12.94	11.65	11.50

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)

[1] स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सार

पिछले वर्ष (2014-15) की तुलना में चालू वर्ष (2015-16) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: 2015-16 में राजकोषीय लेन-देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	**2014-15**	**2015-16**	**संवितरण**	**2014-15**	**2015-16**		
					गैर-योजनागत	**योजनागत**	**कुल**
भाग-क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	**40,798.66**	**47,556.55**	**राजस्व व्यय**	**49,117.87**	**40,674.90**	**18,560.80**	**59,235.70**
कर-राजस्व	**27,634.57**	**30929.09**	**सामान्य सेवाएं**	**16,764.73**	18,585.59	127.74	**18,713.33**
कर-भिन्न राजस्व	**4,613.12**	**4752.48**	**सामाजिक सेवाएं**	**19,120.55**	10,172.68	11,366.18	**21,538.86**
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	**3,548.09**	**5496.22**	**आर्थिक सेवाएं**	**13,088.00**	11,623.48	7,066.88	**18,690.36**
भारत सरकार से अनुदान	**5,002.88**	**6378.76**	**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	**144.59**	293.15	-	**293.15**
भाग-ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**18.74**	**29.98**	**पूंजीगत परिव्यय**	**3,715.53**	283.77	6,624.56	**6,908.33**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**272.82**	**328.28**	**संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**842.87**	275.20	12,975.09	**13,250.29**
लोक ऋण प्राप्तियां	**18,858.75**	**37,998.43**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**8,227.41**	-	-	**7,214.68**
आकस्मिक निधि	--	**63.22**	**आकस्मिक निधि**	--	-	-	**63.22**
लोक लेखा प्राप्तियां	**28,064.30**	**29,055.78**	**लोक लेखा संवितरण**	**25,609.25**	-	-	**28,649.81**
आरंभिक नकद शेष	**6,007.18**	**6,507.52**	**अंतिम नकद शेष**	**6,507.52**	-	-	**6,217.73**
कुल	**94,020.45**	**1,21,539.77**	**कुल**	**94,020.45**			**1,21,539.76**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.5 भाग-क चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

गत वर्ष से 2015-16 के दौरान राजकोषीय संपादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 3,294.52 करोड़ (11.92 प्रतिशत) तथा कर-भिन्न राजस्व में ₹ 139.36 करोड़ (3.02 प्रतिशत) के अतिरिक्त भारत सरकार (भा.स.) से संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्से में ₹ 1,948.13 करोड़ (54.91 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायतानुदान में ₹ 1,375.88 करोड़ (27.50 प्रतिशत) की वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियां ₹ 6,757.89 करोड़ (16.56 प्रतिशत) बढ़ गई। ₹ 30,929.09 करोड़ का राज्य का अपना कर-राजस्व, मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) (₹ 33,249 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण तथा 14वें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) (₹ 38,049 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य की तुलना में क्रमश: 6.98 प्रतिशत तथा 18.71 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2015-16 का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,752 करोड़) चौ.वि.आ. (₹ 4,111 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य से 15.60 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,885 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से 30.98 प्रतिशत तक कम पड़ गया ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- 'सामान्य सेवाओं' (₹ 1,949 करोड़), 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 2,418 करोड़) तथा 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 5,602 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 10,118 करोड़ (20.60 प्रतिशत) बढ़ गया। गैर–योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) (₹ 40,674.90 करोड़), म.अ.रा.नी.वि. (₹ 43,208.62 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से 5.86 प्रतिशत तक कम पड़ गया ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- ₹ 59,235.70 करोड़ का कुल राजस्व व्यय चौ.वि.आ. (₹ 44,514 करोड़) में मानकीय निर्धारण के विरूद्ध 33.07 प्रतिशत तक अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. (₹ 61,870 करोड़) के अंतर्गत किए गए प्रक्षेपण की तुलना में 4.26 प्रतिशत तक कम पड़ गया ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- उज्ज्वल डिस्कोम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत विद्युत कंपनियों में ₹ 1,297.50 करोड़ के निवेश, खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार तथा परिवहन पर क्रमश: ₹ 1,425 करोड़ तथा ₹ 494 करोड़ के व्यय के कारण 'आर्थिक सेवाओं' पर व्यय में मुख्य रूप से वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 3,192.80 करोड़ (85.93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- 2015–16 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 55.46 करोड़ (20.33 प्रतिशत) बढ़ गई।

- निवल लोक लेखा प्राप्तियां 2014–15 में ₹ 2,455.05 करोड़ से घटकर 2015–16 में ₹ 405.97 करोड़ हो गई।

- 2015–16 की समाप्ति पर ₹ 6,217.73 करोड़ का नकद शेष गत वर्ष से ₹ 289.79 करोड़ घट गया।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भा.स. से समय–समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम और संशोधित किया गया था।

वृद्धि, राजस्व तथा राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए लक्ष्य नियत किए गए हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने 2015–16 से 2019–20 की अवधि हेतु राज्य के लिए चालू कीमतों पर स.रा.घ.उ. के लिए 15.73 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रक्षेपित की है। राजकोषीय घाटा उसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. के 3.25 प्रतिशत पर रखे जाने की सिफारिश की गई है, जबकि राज्य की निवल उधार सीमा भी 2015–16 से आगे स.रा.घ.उ. के 3.25 प्रतिशत पर रखे जाने तथा बकाया उधार की सीमा स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 2015–16 में 19.28 प्रतिशत,

2016-17 में 19.91 प्रतिशत, 2017-18 में 20.45 प्रतिशत, 2018-19 में 20.92 प्रतिशत तथा 2019-20 में 21.33 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने का भी सुझाव है। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए बजट में राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे तथा बकाया उधार के लिए स.रा.घ.उ. का क्रमश: 1.83 प्रतिशत, 3.14 प्रतिशत तथा 18.91 प्रतिशत का लक्ष्य नियत किया।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बजट में प्रावधान किए गए तथा राज्य के रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा लक्ष्यित मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज **तालिका 1.2** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.2: प्रक्षेपणों से मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज में भिन्नताएं

राजकोषीय वेरियेबलज	2015-16						
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविकों की भिन्नता प्रतिशतता		
					रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) / सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	स.रा.घ.उ. का 1.83 प्रतिशत	(-) 9557.52	टी.आर.आर. का 18.27 प्रतिशत	(-) 11679	29.51	(-) 2121.48 (22.20 प्रतिशत)	24.56 (34.37 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा / स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	3.14	3.14	3.14	6.39	103.50	103.50	103.50
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात (प्रतिशत में)	18.91	18.91	18.91	24.50	29.56	29.56	29.56

वर्ष 2015-16 का राजस्व घाटा (₹ 11,679 करोड़) बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक था तथा राजकोषीय घाटा रा.उ.ब.प्र., बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. में नियत किए गए 3.14 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध, उदय स्कीम[2] के प्रभाव को छोड़कर स.रा.घ.उ. का 2.88 प्रतिशत तथा उदय स्कीम के साथ स.रा.घ.उ. का 6.39 प्रतिशत था।

वर्ष 2015-16 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. लक्ष्य के अनुसार स.रा.घ.उ. के 18.91 प्रतिशत पर प्रक्षेपित कुल बकाया उधार, उदय स्कीम के साथ स.रा.घ.उ. के 24.50 प्रतिशत पर उच्चतर और चालू वर्ष में उदय स्कीम के प्रभाव को छोड़कर स.रा.घ.उ. का 20.99 प्रतिशत था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज विशिष्ट वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि विभिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक **चार्ट 1.1** में दिए गए हैं।

[2] राज्य सरकार ने उदय के अंतर्गत डिस्कोमज से का ₹ 17,300 करोड़ (सहायतानुदान: ₹ 3,892.50 करोड़, इक्विटी: ₹ 1,297.50 करोड़, ऋण: ₹ 12,110 करोड़) का उधार अपने हाथ में लिया है।

चार्ट: 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2015-16 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान

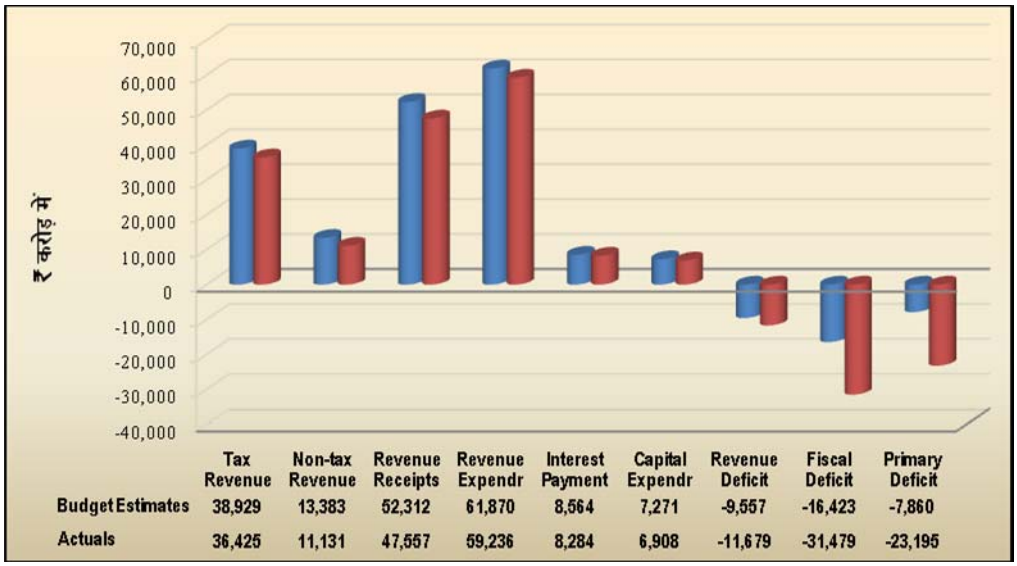

	Tax Revenue	Non-tax Revenue	Revenue Receipts	Revenue Expendr	Interest Payment	Capital Expendr	Revenue Deficit	Fiscal Deficit	Primary Deficit
Budget Estimates	38,929	13,383	52,312	61,870	8,564	7,271	-9,557	-16,423	-7,860
Actuals	36,425	11,131	47,557	59,236	8,284	6,908	-11,679	-31,479	-23,195

₹ 52,312 करोड़ की लक्ष्यित राजस्व प्राप्ति के विरूद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 47,557 करोड़ (91 प्रतिशत) थी। कर राजस्व के अंतर्गत संग्रहण वैट के अंतर्गत कम प्राप्ति, जो ₹ 22,821 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 21,060 करोड़ तथा ₹ 3,600 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरूद्ध स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस ₹ 3,191 करोड़ थी, के कारण ₹ 38,929 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरूद्ध केवल ₹ 36,425 करोड़ था। कर-भिन्न प्राप्तियां मुख्यत: शहरी विकास (₹ 878.05 करोड़), अलोह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (₹ 728.39 करोड़) तथा सड़क परिवहन (₹ 195.45 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण ₹ 13,383 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरूद्ध केवल ₹ 11,131 करोड़ (83 प्रतिशत) थी।

वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 59,236 करोड़) ₹ 61,870 करोड़ के बजट प्रावधान के भीतर था। ब्याज भुगतान (₹ 8,284 करोड़) अनुमानित प्रक्षेपण (₹ 8,564 करोड़) के अंतर्गत रखे गए थे तथा ₹ 7,271 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 6,908 करोड़ था। राज्य सरकार अनुमानित राजस्व घाटा (₹ 9,557 करोड़) मेंटेन नहीं कर सकी क्योंकि यह ₹ 11,679 करोड़ (22 प्रतिशत) तक बढ़ गया। वास्तविक वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे भी अनुमान से अधिक थे। ₹ 16,423 करोड़ के बजटीय राजकोषीय घाटे के विरूद्ध ₹ 31,479 करोड़ का वास्तविक राजकोषीय घाटा उदय के कार्यान्वयन के प्रभाव के कारण था।

1.1.4 जेंडर बजटिंग

राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से कुछ स्कीमें शुरू की हैं। उनमें से कुछ **तालिका 1.3** में वर्णित हैं।

तालिका 1.3: महिलाओं के लिए स्कीमें – 2015 – 16 के दौरान बजट अनुमान तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	स्कीम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	67.33	67.33
2.	लाडली – केवल एक लड़की/लड़कियों वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	40.01	40.01
3.	विधवा पेंशन	875.12	875.12
4.	आंगनवाड़ी वर्कर्रज/हैल्परज का बीमा/वित्तीय सहायता	70.04	70.04
5.	अपनी बेटी अपना धन (लाडली)	97.71	97.71
6.	किशोर लड़कियों के लिए योजना	4.07	4.07
7.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा – कक्षों की स्थापना	1.08	1.08
8.	निराश्रय औरतों तथा विधवाओं के लिए गृह – सह प्रशिक्षण केन्द्र	1.53	1.53
9.	वृद्ध, विकलांग तथा निराश्रय महिलाओं एवं विधवाओं को पेंशन	15.19	15.77
10.	किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम	11.29	19.15
11.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	3.85	3.85

(स्रोत: राज्य बजट 2015 – 16 तथा 2015 – 16 के विस्तृत विनियोजन लेखे)

1.2 वित्त लेखे 2015 – 16 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्ट्रीम हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों के संघटित करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर – भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से उधार प्राप्तियां तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के साथ – साथ लोक लेखा से अर्जन शामिल होते हैं। **तालिका 1.1** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है जबकि **चार्ट 1.3** 2011 – 16 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है, **चार्ट 1.2** तथा **चार्ट 1.4** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक तथा उप – घटक

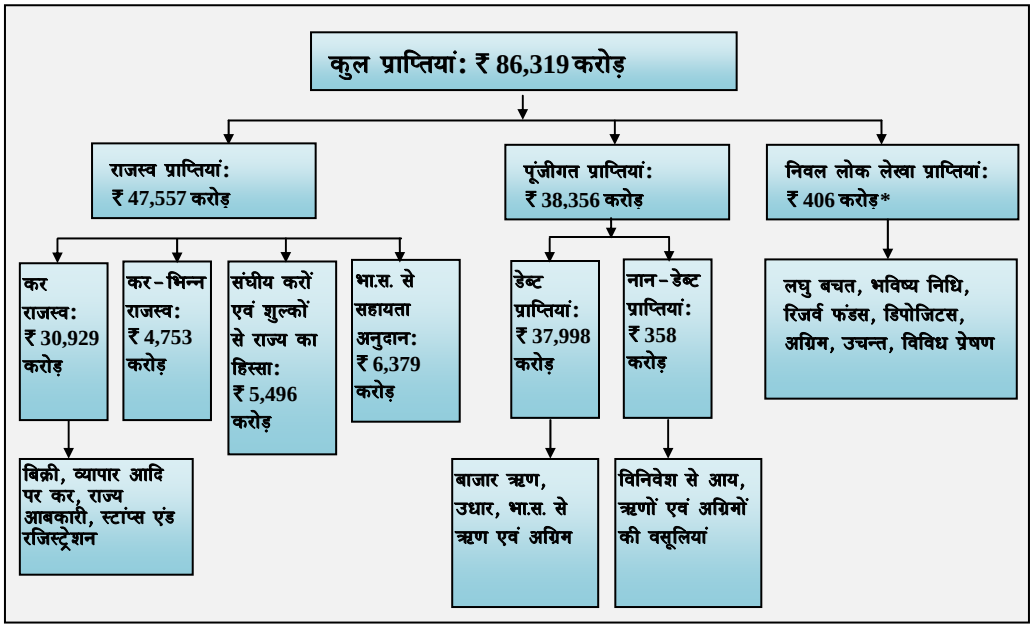

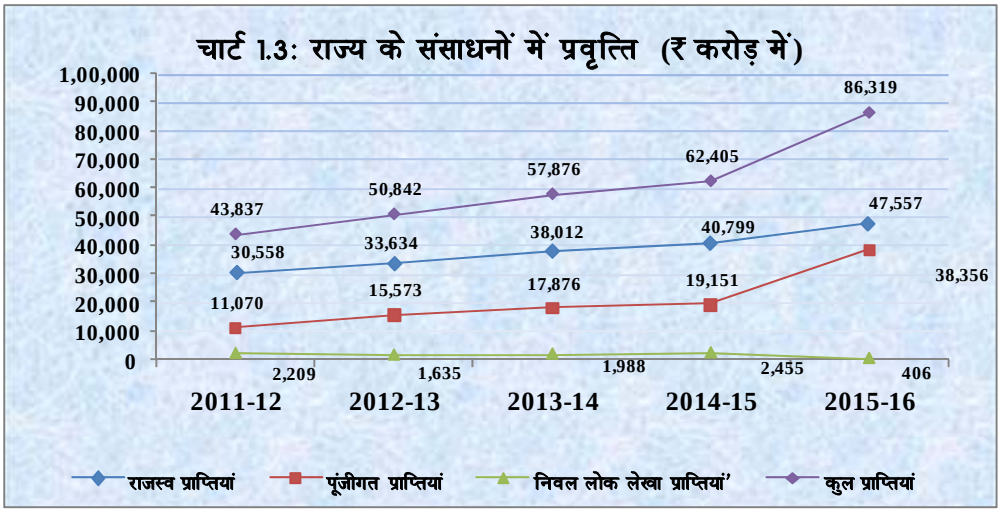

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

* निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 406 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 29,056 करोड़) घटा लोक लेखा संवितरण (₹ 28,650 करोड़)।

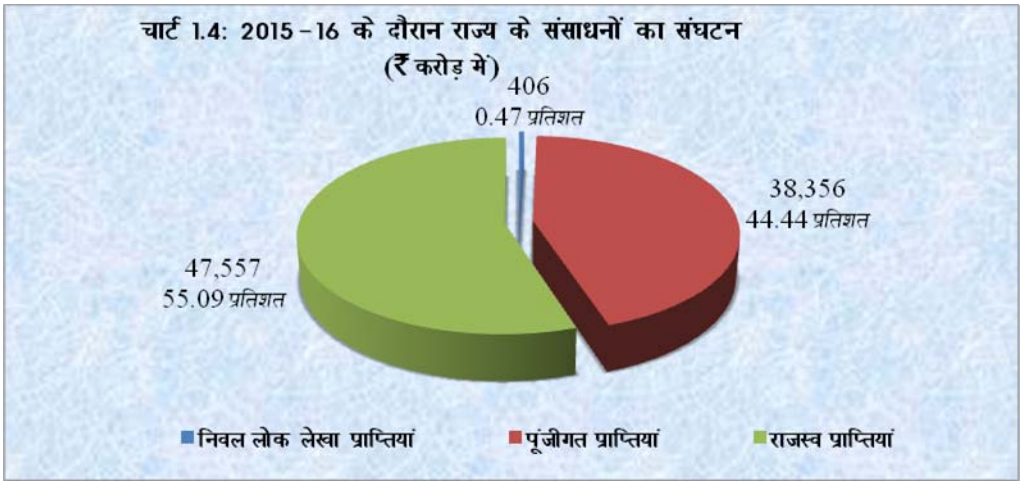

सरकार की कुल प्राप्तियां 2011-12 में ₹ 43,837 करोड़ से ₹ 42,482 करोड़ (96.91 प्रतिशत) तक बढ़कर 2015-16 में ₹ 86,319 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 16,999 करोड़ (55.63 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 27,286 करोड़ (246.49 प्रतिशत) तक बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 1,803 करोड़ (81.62 प्रतिशत) तक घट गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2011-12 में 69.71 प्रतिशत से 2015-16 में 55.09 प्रतिशत तक घट गया। 2011-16 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा 5.04 प्रतिशत से घटकर 0.47 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 25.25 प्रतिशत से बढ़कर 44.43 प्रतिशत हो गया।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखाओं की **विवरणी 14** सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से

सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2011-16 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है तथा **चार्ट 1.5** में भी दर्शाया गया है।

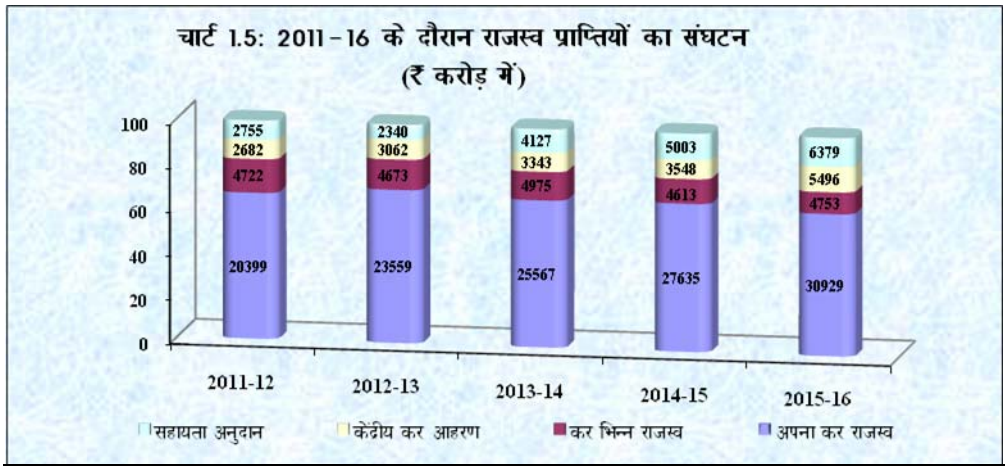

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान 55.63 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना राजस्व 42.04 प्रतिशत तक, भारत सरकार से सहायता अनुदान 131.54 प्रतिशत तक तथा केन्द्रीय कर अंतरण 104.92 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2011-12 में 82.2 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 75.03 प्रतिशत पर हो गया। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2011-12 में 9.02 प्रतिशत से 2015-16 में 13.41 प्रतिशत तक बढ़ गया।

2006-07 से 2014-15 के दौरान 10.81 प्रतिशत तक राजस्व प्राप्तियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (च.वा.वृ.द.) सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (14.74 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की 16.56 प्रतिशत से यह वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों में 15.00 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी ***(परिशिष्ट 1.1)***। स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां **तालिका 1.4** में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**30,558**	**33,634**	**38,012**	**40,799**	**47557**
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.54	10.07	13.02	7.33	16.56
आर.आर./स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	10.16	9.60	9.61	9.23	9.65
उत्पलावकता अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	1.27	0.61	1.01	0.63	1.44
स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता	1.40	0.94	0.66	0.69	1.04
राज्यों के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	0.91	0.65	1.53	0.91	1.39
राज्य के स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,00,756	3,50,407	3,95748	4,41,864	4,92,657
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.40	16.51	12.94	11.65	11.50

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2011-12 में 19.54 प्रतिशत थी, 2015-16 में 16.56 प्रतिशत तक घट गई। अपने कर-राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2011-12 में 0.91 से 2015-16 में 1.39 तक बढ़ गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता–अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर–भिन्न स्रोतों से संयुक्त संसाधन के संदर्भ में किया जाता है।

चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2015–16 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर–भिन्न प्राप्तियां **तालिका 1.5** में दी गई हैं।

तालिका 1.5: चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर–भिन्न प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नि.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर–राजस्व	38,049	33,249[3]	33,249	30,929	(-) 18.71	(-) 6.98	(-) 6.98
कर–भिन्न राजस्व	4,111	6,885[4]	6,885	4,753	15.62	(-) 30.97	(-) 30.97

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 18.71 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 6.98 प्रतिशत तक कम रहा। कर–भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 15.62 प्रतिशत तक बढ़ गई तथा बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 30.97 प्रतिशत तक कम रही।

1.3.1.1 कर राजस्व

करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण **तालिका 1.6** में दिए गए हैं जो 2011–16 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं।

तालिका 1.6: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	13,383.69 (21)	15,376.58 (15)	16,774.33 (9)	18,993.25 (13)	21,060.23 (11)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,831.89 (20)	3,236.48 (14)	3,697.35 (14)	3,470.45 (-6)	43,71.08 (26)
वाहनों पर कर	740.15 (62)	887.30 (20)	1,094.86 (23)	1,191.50 (9)	1400.38 (18)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	2,793.00 (20)	3,326.25 (19)	3,202.48 (-4)	3,108.70 (-3)	3191.21 (3)
भू–राजस्व	10.95 (9)	12.98 (19)	12.42 (-4)	15.28 (23)	14.97 (-2)
माल तथा यात्रियों पर कर	429.32 (11)	470.76 (10)	497.45 (6)	527.07 (6)	554.25 (5)
अन्य कर[5]	210.46 (31)	248.67 (18)	287.71 (16)	328.32 (14)	336.97 (3)
कुल	**20,399.46 (21)**	**23,559.02 (15)**	**25,566.60 (9)**	**27,634.57 (8)**	**30,929.09 (12)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2011–16 के दौरान कर राजस्व ₹ 10,529.63 करोड़ (51.62 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2015–16 के दौरान भू–राजस्व में मार्जिनल कमी को छोड़कर सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने

[3] केंद्रीय करों का हिस्सा छोड़कर।

[4] सहायता अनुदान का हिस्सा छोड़कर।

[5] अन्य करों में, कृषि भूमि से अन्य अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल है।

कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की। 2006-07 से 2014-15 के दौरान कर राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 12.30 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (15.08 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की 11.92 प्रतिशत से 2015-16 में भी यह वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों में 13.28 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी ***(परिशिष्ट 1.1)***। राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 30,929 करोड़) सरकार द्वारा अपने म.अ.रा.नी.वि. (33,249 करोड़) तथा चौ.वि.आ. (₹ 38,049 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था।

कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्रमुख करों के संग्रहण, उनके संग्रहण पर किए गए व्यय तथा संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता **तालिका 1.7** में दी गई है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से कम है।

तालिका 1.7: करों के संग्रहण की लागत

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	2013-14	16,774.33	101.42	0.60	0.88
	2014-15	18,993.25	118.98	0.63	0.91
	2015-16	21,060.23	128.50	0.61	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2013-14	1094.86	13.92	1.27	6.25
	2014-15	1191.50	16.76	1.41	6.08
	2015-16	1400.38	18.72	1.34	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2013-14	3,697.35	25.38	0.69	1.81
	2014-15	3,470.45	28.88	0.83	2.09
	2015-16	4371.08	31.08	0.71	उपलब्ध नहीं
स्टाम्प एवं पंजीकरण	2013-14	3,202.48	9.62	0.30	3.37
	2014-15	3,108.70	10.37	0.33	3.59
	2015-16	3191.21	15.37	0.48	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2011-16) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि **तालिका 1.8** में दी गई है जोकि 2011-16 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.8: 2011-16 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ब्याज प्राप्तियां	864.96 (25)	1,058.21 (22)	1,090.71 (3)	933.59 (-14)	1,087.49 (16)
डिविडेंड तथा लाभ	1.64 (-34)	7.05 (330)	6.49 (-8)	5.80 (-11)	15.89 (174)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	3,855.05 (41)	3,607.89 (-6)	3,877.86 (7)	3,673.73(-5)	3,649.10 (-1)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	583	139	95	129	110
बी) सड़क परिवहन	853	1,000	1,098	1,235	1,255
सी) शहरी विकास	1,039	991	1,105	861	422
डी) शिक्षा	296	385	319	564	637
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	76	76	79	43	272
कुल	**4,721.65 (38)**	**4,673.15 (-1)**	**4,975.06 (6)**	**4,613.12 (-7)**	**4,752.48 (3)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2011-16 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 30.83 करोड़ (0.65 प्रतिशत) बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,752.48 करोड) ने गत वर्ष पर

₹ 139.36 करोड़ (3.02 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2015 – 16 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 9.99 प्रतिशत संघटित किया।

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए कल्याण स्कीमों पर खर्च किया जाना होता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2015 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 1,795.31 करोड़ हैं। बोर्ड ने 2014 – 15 के दौरान श्रमिक कल्याण स्कीमों पर मात्र ₹ 8.04 करोड़ खर्च किए।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदान पिछले वर्ष से 2015 – 16 में ₹ 1,375.88 करोड़ बढ़ गए जैसा कि **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर–योजनागत अनुदान	1,246.51 (-29)	851.62 (-32)	2,256.17 (165)	1,723.20 (-24)	3,744.39 (117)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	674.54 (-10)	727.75 (8)	856.66 (18)	2,815.36 (229)	2,268.18 (-19)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	50.79 (-42)	44.32 (-13)	62.99 (42)	24.57 (-61)	27.53 (12)
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	783.09 (75)	715.56 (-9)	951.36 (33)	439.75 (-54)	338.66 (-23)
कुल	**2,754.93 (-10)**	**2,339.25 (-15)**	**4,127.18 (76)**	**5,002.88 (21)**	**6,378.76 (28)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए बृहद् निधियां राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित कर रही थी। भारत सरकार ने, 2014 – 15 से आगे, राज्य बजट के माध्यम से ये निधियां जारी करने का निर्णय किया। तथापि, भारत सरकार ने 2015 – 16 के दौरान राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर–सरकारी संगठनों को ₹ 919.15 करोड़[6] सीधे अंतरित किए।

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2014 – 15 में ₹ 3,548.09 करोड़ से बढ़कर 2015 – 16 में ₹ 5,496.22 करोड़ हो गए जैसा कि **तालिका 1.10** में दिया गया है।

[6] 2015 – 16 के वित्त लेखाओं का परिशिष्ट VI

तालिका 1.10: 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौ.वि.आ. की सिफारिश	2014-15 के लिए वास्तविक	2015-16 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	ते.वि.आ. की 32 प्रतिशत की तुलना में राज्यों को केंद्रीय करों की हिस्से योग्य राशि का 42 प्रतिशत	1,239.11	1,733.37	494.26
आयकर		884.86	1,204.79	319.93
धन कर		3.35	0.40	-2.95
सीमा शुल्क		573.87	880.83	306.96
केंद्रीय उत्पाद शुल्क		324.04	733.13	409.09
सेवाकर		522.86	939.76	416.90
आय एवं व्यय पर अन्य कर		0	0.03	0.03
उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर शुल्क		0	3.91	3.91
कुल		**3,548.09**	**5,496.22**	**1,948.13**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चौ.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमश: 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था। 2015-16 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 5,496.22 करोड़) अनुमानों (₹ 5,680 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 183.78 करोड़ कम था किंतु यह 2014-15 की तुलना में तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश से महत्वपूर्णरूप से 54.91 प्रतिशत तक अधिक था।

1.3.4 राज्य की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां जमा न करना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन ''राज्य की समेकित निधि'' नामक एक समेकित निधि के रूप में होंगे। तेरहवें वित्त आयोग ने भी लोक व्यय को बजट से नोमिनेटिड निधियों जो विधानसभा के प्राधिकार से बाहर परिचालित की जाती हैं, को विपथित करने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की।

राज्य सरकार ने कृषीय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री को बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत, खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री लाभों का दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर फीस (सैस) उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार, एकत्रित राशि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यत: सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंध करने तथा गोदामों के निर्माण के संबंध में बोर्ड द्वारा खर्च की जाती है।

निधि के अंतर्गत 2011-15 के दौरान प्राप्तियां ₹ 2,010.48 करोड़ थी तथा किया गया व्यय ₹ 2,001.34 करोड़ था। चूंकि ये निधियां वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई थी, विधान सभा के पास ऐसी निधियों पर नियंत्रण रखने का कोई अवसर नहीं था।

1.3.5 केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को सहायता अनुदान

वर्ष 2014 – 15 के लिए तेहरवें वित्त आयोग की सिफारिश तथा वर्ष 2015 – 16 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को पूरा करने के लिए किए गए बजट आबंटन की तुलना में सरकारी निर्मुक्ति तथा किया गया वास्तविक व्यय **तालिका 1.11** में दिया गया है।

तालिका 1.11: वर्ष 2014 – 15 तथा 2015 – 16 के लिए 13वें तथा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के विरूद्ध बजट आबंटन, सरकारी निर्मुक्ति तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

स्कीम/विभाग का नाम	2014-15			2015-16		
	बजट	सरकारी निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय	बजट	सरकारी निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय
शहरी विकास	204.24	171.07	122.74	199.61	86.41	135.05
राष्ट्रीय आपदा के कारण राहत – एस.डी.आर.एफ.	437.18	260.41	221.37	411.00	203.52	-
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	375.69	238.37	284.06	419.28	419.28	419.28
अन्य विभाग	588.57	414.62	516.19	-	-	-
कुल	**1,605.68**	**1,084.47**	**1,144.36**	**1,029.89**	**709.21**	**554.33**

(स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ₹ 1,605.68 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध भारत सरकार ने ₹ 1,084.47 करोड़ जारी किए। इसके विरूद्ध 2014 – 15 के दौरान ₹ 1,144.36 करोड़ का व्यय किया गया। निधियों के व्यय की प्रतिशतता भारत सरकार द्वारा जारी किए गए से 5.52 प्रतिशत से अधिक थी किंतु बजट 2014 – 15 में किए गए प्रावधानों के विरूद्ध 71.27 प्रतिशत थी।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2015 – 16 के दौरान स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी विकास) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए केवल मूल अनुदान जारी किए। ₹ 1,029.89 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध भारत सरकार ने ₹ 709.21 करोड़ जारी किए जबकि 2015 – 16 के दौरान ₹ 554.33 करोड़ का व्यय किया गया था। निधियों के व्यय की प्रतिशतता भारत सरकार द्वारा जारी किए गए से 22 प्रतिशत कम थी किंतु बजट 2015 – 16 में किए गए प्रावधानों के विरूद्ध 54 प्रतिशत थी।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां तथा ऋणों के माध्यम से अग्रिमों की प्राप्तियां अर्थात् आंतरिक एवं भारत सरकार से तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2011 – 16) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण **तालिका 1.12** में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	**11,070.19**	**15,573.73**	**17,875.90**	**19,150.31**	**38,356.69**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.24	10.81	9.89	18.74	29.98
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	294.12	349.38	261.85	272.82	328.28
लोक ऋण प्राप्तियां	10,766.83	15,213.54	17,604.16	18,858.75	37,998.43
बाजार ऋण	6,356.65	9,330.00	11,446.18	13,200.00	14,099.99
बॉण्डस	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3,863.29	5,158.23	4,777.60	4,102.79	4,641.45
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	141.69	438.40	566.60	1,251.31	1,721.40
अन्य ऋण	307.48	235.76	472.31	173.89	138.36
भारत सरकार से ऋण	97.72	51.15	341.47	130.76	97.23
लोक ऋण प्राप्ति से बाजार ऋण की प्रतिशतता	59.04	61.32	65.02	69.99	37.11
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	9	41	16	7	101
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	26	19	-25	7	23
स.रा.घ.उ. का	15.40	16.51	12.94	11.65	11.50
पूंजीगत प्राप्तियों का	10	41	15	7	100

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋणों का हिस्सा 2011-12 में 59.04 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 69.99 प्रतिशत हो गया किंतु 2015-16 में घटकर 37.11 प्रतिशत रह गया जोकि मुख्यत: वर्ष 2015-16 के दौरान उदय स्कीम के अंतर्गत विद्युत कंपनियों के ₹ 17,300 करोड़ के ऋण लेने के विरूद्ध विद्युत बॉण्डस जारी करने के कारण है।

1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2015-16 के दौरान 14 सहकारी बैंकों तथा समितियों के पूंजीगत विनिवेश से निवल आय ₹ 29.98 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 18.74 करोड़) से 60 प्रतिशत अधिक है।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 328.28 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। इसमें से ₹ 244.48 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतान किए गए थे। 31 मार्च 2015 को ₹ 4,572.29 करोड़ की कुल बकाया राशि में से मात्र ₹ 83.80 करोड़ अन्य संस्थाओं से वूसल किए गए थे जो बकाया ऋणों की वसूली हेतु राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का सूचक था।

31 मार्च 2015 को सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध ₹ 1,212.90 करोड़ के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 646 करोड़ वितरित किए। 2015-16 के दौरान इन ऋणों के विरूद्ध कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। 2015-16 की समाप्ति पर इन सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध ₹ 1,858.90 करोड़ के ऋण बकाया थे। सरकार ने इन चीनी मिलों को ऋण इस शर्त पर वितरित किए थे कि संस्वीकृति के बारह माह पश्चात् नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर समान किस्तों पर पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा तथा

पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान की विफलता के मामले में कोई ऋण वितरित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना चीनी मिलों को ₹ 646 करोड़ के ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे। मूलधन के अतिरिक्त 31 मार्च 2016 को बकाया ऋणों के विरूद्ध ₹ 208.28 करोड़ का ब्याज भी प्राप्त किया गया। इंगित किए जाने पर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति (र.स.स.), हरियाणा ने बताया (सितंबर 2016) कि सहकारी चीनी मिलें उत्पादन की लागत तथा चीनी के मूल्यों में अंतर के कारण हानियां उठा रही थी।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से उधार प्राप्तियां

2015 – 16 के दौरान आंतरिक उधार प्राप्तियों के रूप में ₹ 37,901.20 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष (₹ 18,727.99 करोड़) से ₹ 19,173.21 करोड़ (102.38 प्रतिशत) अधिक थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 14,100 करोड़, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 4,779.81 करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों से ₹ 1,721,40 करोड़ के ऋण 2015 – 16 के दौरान उठाए गए थे, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 – 16 के दौरान उदय के अंतर्गत लिए गए डिस्कोमस के ऋणों के कारण ₹ 17,300 करोड़ के बॉण्डस जारी किए गए।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल ऋण एवं अग्रिम 2014 – 15 में ₹ 2,127.83 करोड़ से ₹ 78.91 करोड़ घटकर 2015 – 16 में ₹ 2,048.92 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 97.23 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 176.14 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

लघु बचतों, भविष्य निधियों, रिजर्व फंडस, डिपोजिटस, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन–देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा राज्य विधान सभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.13** में दी गई हैं।

तालिका: 1.13: 2014 – 15 तथा 2015 – 16 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,747.69	2,967.99	1,706.64	1,919.35	1,041.05	1,048.64
बी) आरक्षित निधि	1,257.10	698.81	247.79	1,709.62	1,009.31	-1,010.81
सी) जमा	17,064.80	17,594.40	16,593.45	17,225.13	471.35	369.27
डी) अग्रिम	27.02	38.10	26.95	38.10	0.07	0.00
ई) उचंत तथा विविध	453.48	562.53	506.32	544.51	(-) 52.84	18.02
एफ) प्रेषण	6,514.21	7,193.95	6,528.10	7,213.10	(-) 13.89	-19.15
कुल	**28,064.30**	**29,055.78**	**25,609.25**	**28,649.81**	**2,455.05**	**405.97**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय, वेतनों, ब्याज भुगतानों, सबसीडियों, पेंशन भुगतानों पर व्यय तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के अंतर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में विश्लेषित किए गए हैं।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.6 गत पांच वर्षों (2011-16) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है तथा वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमश: **चार्ट 1.7 एवं 1.8** में प्रदर्शित किया गया है।

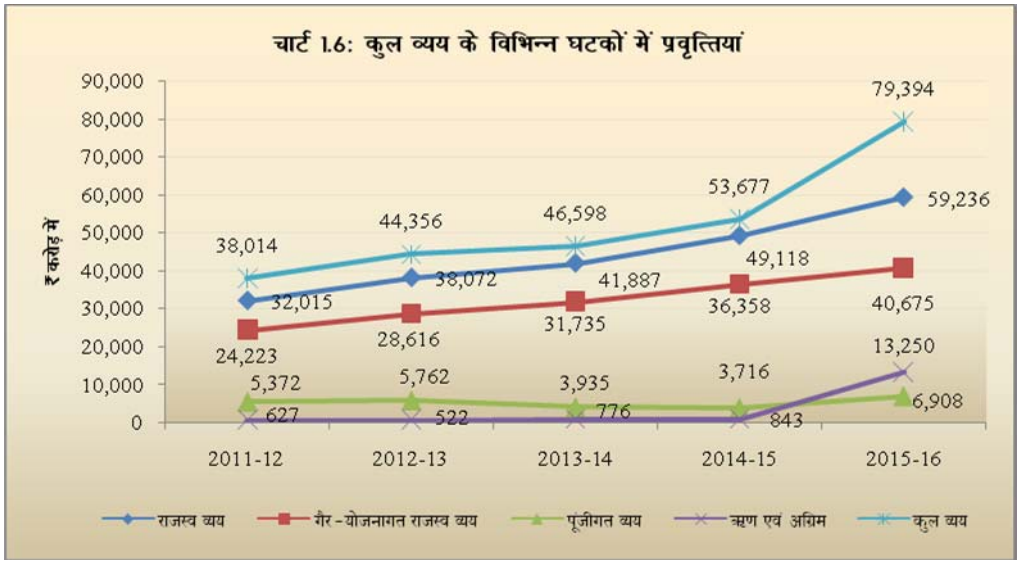

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2011-16) की अवधि में कुल व्यय 108.85 प्रतिशत बढ़ गया। यह पिछले वर्ष से 47.91 प्रतिशत बढ़ गया। इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय क्रमश: 85.03 प्रतिशत तथा 28.59 प्रतिशत तक बढ़ गया। वर्ष 2015-16 के दौरान प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय का हिस्सा 48 प्रतिशत तथा 52 प्रतिशत के अनुपात में था। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण भी 2013.24 प्रतिशत बढ़ गया। यह वृद्धि वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत कंपनियों को ₹ 12,266.83 करोड़ तथा विभिन्न सहकारी चीनी मिलों को ₹ 646 करोड़ की राशि के ऋणों के कारण थी।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2011-12 में 84.22 प्रतिशत से 2014-15 में 91.51 प्रतिशत तक बढ़ गया किंतु 2015-16 में 74.61 प्रतिशत तक घट गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2011-12 में 14.13 प्रतिशत से 2015-16 में 8.70 प्रतिशत तक घट गया जो चिंता का विषय है। संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2011-12 में 1.65 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 1.57 प्रतिशत हो गया किंतु 2015-16 में 16.69 प्रतिशत तक बढ़ गया। कुल व्यय से गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) का अनुपात 2011-12 में 63.72 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 67.73 प्रतिशत हो गया किंतु 2015-16 में 51.23 प्रतिशत तक घट गया। स.रा.घ.उ. से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2011-12 में 8.05 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 8.26 प्रतिशत हो गया।

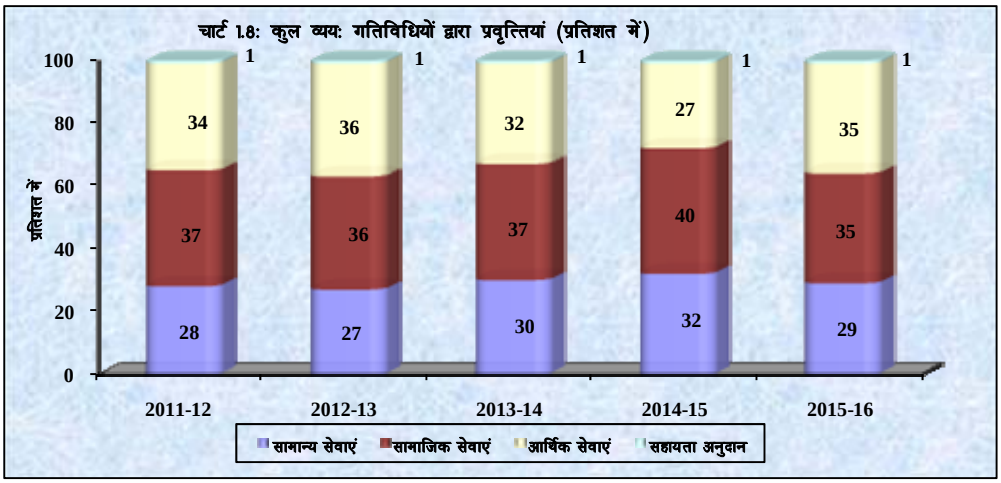

व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतानों तथा आर्थिक सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2011-12 में क्रमश: 28 तथा 34 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में क्रमश: 29 तथा 35 प्रतिशत हो गया, सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 2011-12 में 37 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 35 प्रतिशत रह गया जबकि उसी अवधि हेतु सहायतानुदान का हिस्सा लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिसने विकास व्यय निरूपित किया है, भी 2011-12 में 71 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 70 प्रतिशत रह गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.14 पांच वर्षों (2011-16) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय	32,015	38,072	41,887	49,118	59,236
वृद्धि दर (प्रतिशत)	13	19	10	17	21
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	11	11	11	11	12
गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)	24,223	28,616	31,735	36,358	40,675
राजस्व व्यय से गै.यो.रा.व्य. की प्रतिशतता	76	75	76	74	69

2011-16 के दौरान राजस्व व्यय 13 से 21 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित वृद्धि दर के साथ ₹ 27,221 करोड़ (85 प्रतिशत) बढ़ गया किंतु 2011-15 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता लगभग 11 प्रतिशत पर स्थिर रही किंतु 2015-16 के दौरान 12 प्रतिशत तक बढ़ गई।

राजस्व व्यय वर्ष 2014-15 में ₹ 49,118 करोड़ से 21 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹ 59,236 करोड़ हो गया। मुख्यत: पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाओं (₹ 186.26 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों (₹ 1,355.78 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 1,948.60 करोड़ तक बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यत: शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 623.35 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 315.84 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 771.76 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 2,419 करोड़ तक बढ़ गया। विद्युत सैक्टर (₹ 4,981.22 करोड़) को सबसीडी एवं सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹ 5,602.36 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के गै.यो.रा.व्य. (69 प्रतिशत) तथा योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) (31 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि गै.यो.रा.व्य. का अनुपातिक हिस्सा यो.रा.व्य. से बहुत अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 10,117.83 करोड़ की कुल वृद्धि में गै.यो.रा.व्य. और यो.रा.व्य. के क्रमश: ₹ 5,800.45 करोड़ और ₹ 4,317.38 करोड़ शामिल थे। 2015-16 में ₹ 59,235.70 करोड़ का कुल राजस्व व्यय चौ.वि.आ. के मानकीय निर्धारण (₹ 44,514 करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. (₹ 61,869.62 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था।

2015-16 में ₹ 40,674.90 करोड़ का गै.यो.रा.व्य. तथा ₹ 18,560.80 करोड़ का यो.रा.व्य. सरकार द्वारा अपने म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (गै.यो.रा.व्य.: ₹ 43,208.62 करोड़ तथा यो.रा.व्य.: ₹ 18,661 करोड़) से कम था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज भुगतान, वेतनों एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सबसीडियों पर व्यय शामिल हैं। 2011-16 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.15** एवं **चार्ट 1.9** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसमें	9,960 (33)	11,464 (34)	11,816 (31)	14,359 (35)	15,313	15,294* (32)
गैर – योजनागत शीर्ष	9,070	10,280	10,374	12,250	13,135	12,870
योजनागत शीर्ष**	890	1,184	1,442	2,109	2,178	2,424
ब्याज भुगतान	4,001 (13)	4,744 (14)	5,850 (15)	6,928 (17)	8,564	8,284 (17)
पेंशनों पर व्यय	3,204 (10)	3,636 (11)	4,169 (11)	4,602 (11)	5,900	5,413 (11)
सबसीडिज	3,853 (13)	5,454 (16)	5,681 (15)	5,693 (14)	6,865	6,899 (15)
कुल	**21,018 (69)**	**25,298 (75)**	**27,516 (72)**	**31,582 (77)**	**36,642**	**35,890 (75)**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

*** ₹ 269.06 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।**

**** योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गए वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।**

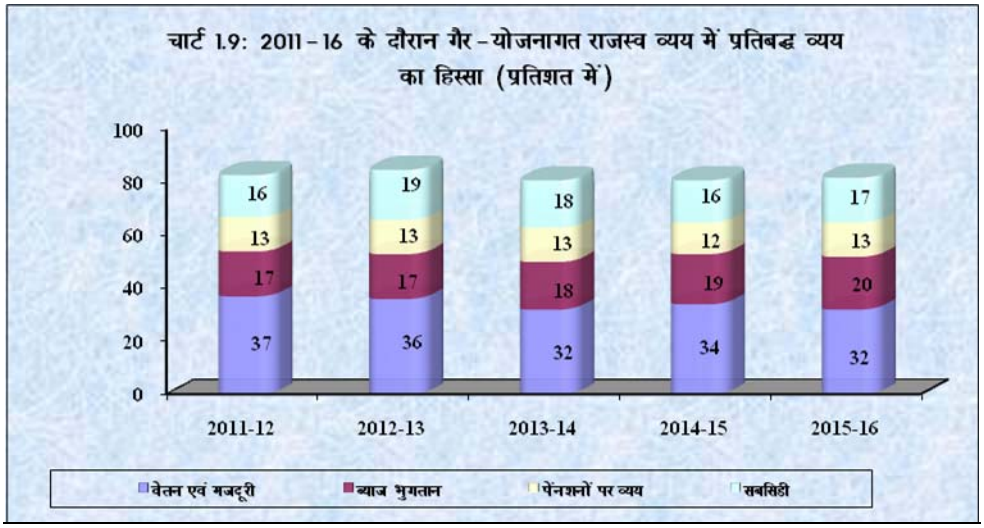

वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 28,722 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 31,524.31 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 2,802.31 करोड़ (8.89 प्रतिशत) कम था तथा राजस्व प्राप्तियों का 60 प्रतिशत उपयोग किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सबसिडी ने 2015 – 16 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 82 प्रतिशत संघटित किया।

वेतनों पर व्यय

2011 – 12 से 2015 – 16 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 15,294 करोड़) 53.55 प्रतिशत बढ़ गया। 2006 – 07 से 2014 – 15 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय

की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 16.87 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों (15.49 प्रतिशत) से अधिक थी। यह वृद्धि दर पिछले वर्ष की 6.51 प्रतिशत से सामान्य श्रेणी राज्यों में 9.95 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी ***(परिशिष्ट 1.1)***। वेतनों पर व्यय (₹ 15,025 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 17,061 करोड़) से कम था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 8,284 करोड) पांच वर्ष (2011-16) की अवधि में 107.05 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान ₹ 1,356 करोड़ (19.57 *प्रतिशत*) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2011-12 में 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 17.42 प्रतिशत हो गई। 2015-16 के दौरान ब्याज भुगतान चौ.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 7,582 करोड़) से अधिक थे किंतु म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपणों (₹ 8,564 करोड़) से कम थे ***(परिशिष्ट 1.6)***।

सबसिडीज़

सबसिडीज़ पर भुगतान 2011-12 में ₹ 3,853 करोड़ से ₹ 3,046 करोड़ (79.06 प्रतिशत) बढ़कर 2015-16 में ₹ 6,899 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 14.51 प्रतिशत था। ₹ 6,899 करोड़ की कुल सबसिडीज़ में से ₹ 6,324 करोड़ (92 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए था। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सबसिडी म.अ.रा.नी.वि. (₹ 5,625 करोड़) में प्रक्षेपण से अधिक थी ***(परिशिष्ट 1.6)***।

सबसिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ शामिल नहीं होती हैं। 2015-16 के दौरान प्रदान की गई कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ **तालिका 1.16** में वर्णित हैं।

तालिका 1.16: कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/सबसिडी	बजट अनुमान		व्यय
		मूल	संशोधित	
1.	मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रीएंट डैफीशिएंसी मैनेज करने की स्कीम	3.00	0.18	0.18
2.	फसलों की विविधता के प्रोत्साहन की स्कीम	4.00	5.20	5.20
3.	मिट्टी स्वास्थ्य एवं उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	0.40	0.19	0.19
4.	जल बचाव प्रौद्योगिकी को अपनाने पर सहायता प्रदान करने की स्कीम	10.00	7.07	7.07
5.	हरियाणा में एकीकृत बागवानी विकास की स्कीम	8.25	7.23	7.23
6.	बागवानी क्षेत्र में उन्नत अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के प्रोमोशन की स्कीम	10.46	6.34	6.34
7.	माईक्रो इरीगेशन	20.00	2.07	2.07
8.	हाई-टैक डेरी इकाइयों की स्थापना के लिए स्कीम	5.00	4.85	4.85
9.	सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम दिए गए लघु अवधि ऋणों पर ब्याज की दर पर छूट	100.00	145.21	145.21
10.	सभी सहकारी चीनी मिलों के पुराने ऋण का समायोजन	290.00	646.00	646.00

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन भुगतान

2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 5,413 करोड़) 68.95 प्रतिशत तक बढ़ गए जोकि राजस्व प्राप्तियों का 11.38 प्रतिशत था। 2015–16 में पेंशन भुगतानों पर व्यय चौ.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 4,950 करोड़) से अधिक था तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 5,900 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से कम था ***(परिशिष्ट 1.6)***। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

फ्लैगशिप स्कीमें/कार्यक्रम: व्यय की स्थिति

फ्लैगशिप स्कीमें/कार्यक्रम, राष्ट्र के इनक्लुसिव विकास की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संपूर्ण एवं विवेचनात्मक भाग हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा हरियाणा सरकार को, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा फ्लैगशिप स्कीमों के लिए 2015–16 के दौरान **तालिका 1.17** में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

तालिका 1.17: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों/कार्यक्रमों के अतंर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	--	142.23	193.56	--	335.79	241.75	72
2	एकीकृत वाटरशैड प्रबंध कार्यक्रम (ए.वा.प्र.का.)	34.03	--	--	0.27	34.30	21.42	62
3	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका उपार्जन मिशन (रा.ग्रा.जी.मि.)	6.54	5.22	3.48	0.5	15.74	12.53	80
4	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	10.53	122.95	14.23	0.09	147.80	140.88	95
5	इन्दिरा आवास योजना	15.57	91.75	56.59	0.58	164.49	95.24	58
6	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.)	--	--	--	13.14	13.14	0.35	3
7	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	32.90	289.92	193.00	--	515.82	481.29	93
8	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	63.27	122.65	270.22	--	456.14	398.03	87
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	11.30	277.00	140.00	17.65	445.95	347.77	78
10	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	-2.38	--	--	35.00	32.62	36.00	110
11	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (ए.आ.स्ल.वि.का.)	54.09	--	--	--	54.09	13.56	25
12	राजीव आवास योजना (रा.आ.यो.)	84.58	--	3.62		88.20	21.04	24
13	निर्मल भारत अभियान (नि.भा.अ.)	54.10	55.35	16.13	--	125.58	97.66	78
14	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.)	--	83.12	--	--	83.12	83.12	100
15	सर्व शिक्षा अभियान	60.85	274.77	182.33	31.85	549.80	526.15	96
16	मिड-डे-मील स्कीम	93.40	123.82	83.34	--	300.56	223.82	74
17	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	4.18	101.63	145.83	--	251.64	239.70	95
18	पूरक पोषण कार्यक्रम (पू.पो.का.)	13.14	55.45	60.99	--	129.58	121.98	94
	कुल	**536.10**	**1,745.86**	**1363.32**	**99.08**	**3,744.36**	**3,102.29**	**83**

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा)

राज्य ने फ्लैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से 2015-16 के दौरान ₹ 1,745.86 करोड़ प्राप्त किए। 2015-16 के लिए ₹ 3,744.36 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से राज्य ने ₹ 3,102.29 करोड़ (83 प्रतिशत) उपयोग किए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकीकृत वाटरशैड प्रबंध कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका उपार्जन मिशन, इंदिरा आवास योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम, राजीव आवास योजना, निर्मल भारत अभियान तथा मिड-डे मील के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 90 प्रतिशत से कम थी।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

तालिका 1.18: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायताप्राप्त स्कूल, सहायताप्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	648.39	1,140.09	783.66	1,809.77	1,984.56	1,984.67	-
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	894.67	1,274.01	1,120.80	744.63	1,047.24	1,045.99	(-) 0.12
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	722.40	882.65	1,263.49	1,192.04	1,261.62	1,261.94	0.03
विकास अभिकरण	480.96	450.65	523.36	723.72	878.08	878.09	-
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	357.67	580.02	518.83	979.70	1,011.18	1010.97	(-) 0.02
अन्य संस्थाएं	201.92	320.53	329.53	656.14	4,583.91	4,584.31	-
कुल	**3,306.01**	**4,647.95**	**4,539.67**	**6,106.00**	**10,766.59**	**10,765.97**	**0.01**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	10	12	11	12		18	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

तालिका 1.18 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2011-12 में ₹ 3,306.01 करोड़ से 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय का 18.17 प्रतिशत संघटित करते हुए ₹ 10,765.97 करोड़ तक बढ़ गई। शैक्षिक संस्थाओं (₹ 174.90 करोड़), नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं (₹ 301.36 करोड़), विकास एजेंसियों (₹ 154.37 करोड़), तथा अन्य संस्थाओं (₹ 3,928.17 करोड़) को सहायता में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 4,659.97 करोड़ (76.32 प्रतिशत) तक बढ़ गई। ₹ 10,766.59 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 10,765.97 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक सहायता में कमी की रेंज 0.02 और 0.12 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यत: इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलत: तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त

प्रावधान); व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय – परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनका व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। **तालिका 1.19**, 2015 – 16 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.19: 2012 – 13 और 2015 – 16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य.[#]/ कु.व्य.	सा.क्षे.व्य./ कु.व्य.	पू.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2012 – 13	12.66	71.85	35.99	12.99	16.11	3.61
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2012 – 13	14.14	70.03	38.47	13.70	17.72	4.72
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2015 – 16	16.12	75.13	29.07	8.70	12.75	3.18
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2015 – 16	16.05	70.63	36.29	14.89	15.63	4.45

कु.व्य. – कुल व्यय, वि.व्य. – विकास व्यय, सा.क्षे.व्य. – सामाजिक क्षेत्र व्यय, पू.व्य. – पूंजीगत व्यय।
[#] विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।
स.रा.घ.उ. का स्रोत: 29 जुलाई 2016 को सी.एस.ओ. वेबसाईट पर यथा उपलब्ध सूचना।

राजकोषीय प्राथमिकता:

- हरियाणा में स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2015 – 16 में बढ़कर 16.12 प्रतिशत हो गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों (सा.श्रे.रा.) (16.05 प्रतिशत) से अधिक था।
- 2012 – 13 की तुलना में 2015 – 16 में हरियाणा में विकास व्यय पर प्राथमिकता बढ़ (75.13 प्रतिशत) गई तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक थी।
- कुल व्यय से सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात 2012 – 13 (35.99 प्रतिशत) की तुलना में 2015 – 16 (29.07 प्रतिशत) में हरियाणा में घट गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।
- कुल व्यय से पूंजीगत व्यय का अनुपात 2012 – 13 (12.99 प्रतिशत) की तुलना में 2015 – 16 (8.70 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण रूप से घट गया है तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से बहुत कम था।
- शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2012 – 13 (16.11 प्रतिशत) की तुलना में 2015 – 16 (12.75 प्रतिशत) में घट गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।
- स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात 2012 – 13 (3.61 प्रतिशत) की तुलना में 2015 – 16 (3.18 प्रतिशत) में थोड़ा सा घट गया तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से कम था।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के प्रावधान पर बल देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन बढ़ाने के अतिरिक्त, विशेषरूप से हाल के वर्षों में उधार सर्विसिंग पर व्यय में कमी के कारण सृजित किए जा रहे फिस्कल स्पेस के दृष्टिगत, कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से पूंजीगत व्यय का अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से इन घटकों का अनुपात जितना उच्चत्तर होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं अग्रिमों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल है। **तालिका 1.20**, 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। **तालिका 1.21** चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.20: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	**27,192 (72)**	**31,868 (72)**	**32,300 (69)**	**36,180 (67)**	**48,037**	**59,652 (75)**
क) विकास राजस्व व्यय	21,696 (57)	26,073 (59)	28,154 (60)	32,208 (60)	41,564	40,229 (51)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	5,137 (14)	5,511 (12)	3,653 (8)	3,425 (6)	5,549	6,448 (8)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	359 (1)	284 (1)	493 (1)	547 (1)	924	12,975 (16)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान विकास व्यय 119.37 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 75 प्रतिशत संघटित किया, 2014-15 में ₹ 36,180 करोड़ से ₹ 23,472 करोड़ (65 प्रतिशत) बढ़कर 2015-16 में ₹ 59,652 करोड़ हो गया। विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों ने विकास व्यय का क्रमश: 67 तथा 22 प्रतिशत संघटित किया जबकि पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 11 प्रतिशत था। विद्युत परियोजनाओं (₹ 12,267 करोड़), सहकारी चीनी मिलों (₹ 646 करोड़) तथा निजी चीनी मिल (₹ 40.13 करोड़) को संवितरित ऋणों के कारण ऋण एवं अग्रिम पिछले वर्ष से 2,272 प्रतिशत तक बढ़ गए। ₹ 48,037 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध वास्तविक व्यय ₹ 59,652 करोड़ था जोकि बजट अनुमान का 124.18 प्रतिशत है।

तालिका 1.21: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय–प्रयोग की कुशलता

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2014-15			2015-16		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
सामाजिक सेवाएं (सा.से.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.020	66.21	0.04	0.020	65.93	0.11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.029	48.38	-*	0.014	47.40	0.08
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.319	18.91	7.98	0.237	16.18	6.92
कुल (सा.से.)	**0.103**	**53.67**	**1.69**	**0.079**	**51.77**	**1.65**
आर्थिक सेवाएं (आ.से.)						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	(-) 1.098	38.96	1.89	0.149	34.09	1.60
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.454	6.32	8.07	0.384	5.15	7.75
विद्युत एवं ऊर्जा	0.013	0.03	-*	0.135	0.02	-*
परिवहन	0.371	39.59	3.33	0.437	42.75	3.51
कुल (आ.से.)	**0.120**	**17.07**	**1.98**	**0.228**	**11.90**	**1.43**
कुल (सा.से. + आ.से.)	**0.111**	**37.89**	**1.81**	**0.161**	**31.55**	**1.54**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय, रा.व्य.: राजस्व व्यय, वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व रख.: परिचालन एवं रख–रखाव; * राशि नगण्य

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2014–15 में 0.103 से 2015–16 में 0.079 तक कम हो गया तथा आर्थिक सेवाओं के लिए 2014–15 में 0.120 से 2015–16 में 0.228 तक बढ़ गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2014–15 में 53.67 प्रतिशत से 2015–16 में 51.77 प्रतिशत तक थोड़ा सा घट गया। परिचालन एवं रख–रखाव पर व्यय का हिस्सा 2014–15 में 1.69 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 1.65 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2014–15 में 17.07 प्रतिशत से 2015–16 में 11.90 प्रतिशत तक घट गया। परिचालन एवं रख–रखाव का हिस्सा भी 2014–15 में 1.98 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 1.43 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2014–15 में 37.89 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 31.55 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख–रखाव का हिस्सा 2014–15 में 1.81 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 1.54 प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के बाद के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अप्रत्यक्ष सबसीडियों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2016 के अंत पर ₹ 623.33 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली आठ सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2015-16 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 106.88 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 17 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 352.03 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 31.16 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 276.31 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2016 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना **तालिका 1.22** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथियां 31 मार्च 2016 को पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियाजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2016 तक कुल व्यय
सिंचाई	1	10.09	-	7.00
लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	17	200.86	-	91.65
कुल	**18**	**210.95**	**-**	**98.65**

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 18 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि मई 2014 और मार्च 2016 के मध्य थी, परन्तु ये जून 2016 तक अपूर्ण थी परिणामस्वरूप ₹ 98.65 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2016 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 9,372.44 करोड़ निवेश किए थे **(तालिका 1.23)**। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.092 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2011-16 के दौरान अपने उधारों पर 9.48 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	6,981.91	7240.02	7378.87	7,500.22	7,680.39	9,372.44
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	1.64	7.05	6.49	5.80	7.40	15.89
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.02	0.10	0.09	0.08	0.10	0.17
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.73	9.86	9.83	9.33	11.13	8.64
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.71	9.76	9.74	9.25	11.03	8.47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2011 – 12 से 2015 – 16 तक पांच वर्षों की अवधि में 34.24 प्रतिशत तक बढ़ गए, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2011 – 12 में ₹ 1.64 करोड़ (0.02 *प्रतिशत*) से 2015 – 16 में ₹ 15.89 करोड़ (0.17 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2011 – 16 के दौरान 8.64 से 9.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.02 और 0.17 के बीच रही। राज्य सरकार ने 2015 – 16 के दौरान ₹ 1,902.21 करोड़ के निवेश किए। इनमें से ₹ 1,794.54 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की साम्या पूंजी में निवेश किए गए थे।

₹ 6,231.99 करोड़ के कुल निवेश वाली नौ सरकारी कम्पनियां घाटे में चल रही थी और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 29,518.03 करोड़ थी ***(परिशिष्ट 1.7)***। तीन[7] विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 29,310.58 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों का 99 प्रतिशत संघटित किया।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध – वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ – साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ ***परिशिष्ट 1.8*** में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

- सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक ₹ 7,126.48 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।

- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज सात वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 27 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए थे।

- ₹ 774.86 करोड़ के कुल निवेश के विरूद्ध दो[8] विभागीय उपक्रमों की हानियां ₹ 295.55 करोड़ थी।

1.8.5 लोक निजी सांझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो आर्थिक वृद्धि कायम रखने के लिए पूर्व अपेक्षित है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए लोक निजी सांझेदारी (लो.नि.सां.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2016 को ₹ 4,330.00 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ छः लो.नि.सां. परियोजनाएं ***(परिशिष्ट 1.9)*** कार्यान्वयन अधीन थी।

---

[7] 2014 – 15 तक संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 16,309.78 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 12,719.03 करोड़) तथा ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 281.77 करोड़)।

[8] कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.01 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 295.54 करोड़।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। **तालिका 1.24**, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में 31 मार्च 2016 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमात्रा	2013-14	2014-15	2015-16	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	3,489	4,002		4,572
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	775	843	1,367	13,250
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	262	273	392	328
अन्त शेष	**4,002**	**4,572**		**17,494**
बकाया शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई है	4,002	4,572		5,187
निवल बढ़ोतरी	513	570	**975**	12,922
ब्याज प्राप्तियां	66	40	102	47
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	1.76	0.93	0.92	0.43
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	7.67	7.83	8.66	6.86
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	5.91	6.90	7.74	6.43

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 12,922 करोड़ की निवल बढ़ोतरी के कारण 31 मार्च 2016 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 17,494 करोड़ थे। ₹ 1,212.90 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2015-16 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरूद्ध बकाया थे। आगे, इन शुगर मिलों को ₹ 646 करोड़ के कुल ऋण दिए गए थे। जबकि, ₹ 12,266.83 करोड़ के ऋण वर्ष 2015-16 के दौरान ट्रांसमिशन एवं संवितरण सेवाओं के लिए विद्युत परियोजनाओं को दिए गए थे, 31 मार्च 2015 को बकाया ₹ 1,025.62 करोड़ के पिछले ऋणों के विरूद्ध केवल ₹ 61.94 करोड़ वसूल किए गए थे। विद्युत कंपनियों (₹ 12,266.83 करोड़) तथा प्राइवेट शुगर मिल (₹ 40.13 करोड़) को 2015-16 के दौरान संवितरित ऋण के निबंधन एवं शर्तें अंतिमकृत नहीं की गई थी। वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 721.93 करोड़ का ब्याज भुगतान वित्तीय पुनर्संरचना प्लान (वि.पु.प्ला.) के अंतर्गत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में किया गया था।

1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के नकद शेषों और नकद शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े **तालिका 1.25** में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2015 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2016 को अंत शेष
(ए) सामान्य नकद शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	75.53	(-) 733.94
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	**76.07**	**(-) 733.40**
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	2,571.52	4,173.12
कुल (ए)	**2,647.59**	**3,439.72**
(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	3.07	2.68
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
चिन्हित निधियों का निवेश	3,856.75	2,775.22
कुल (बी)	**3,859.93**	**2,778.01**
कुल योग (ए) + (बी)	**6,507.52**	**6,217.73**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2015-16 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 6,507.52 करोड़ से घटकर ₹ 6,217.73 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से किए गए निवेश ₹ 2,571.52 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,173.12 करोड़ हो गए। चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2015 को ₹ 3,856.75 करोड़ से ₹ 1,081.53 करोड़ घटकर 31 मार्च 2016 को ₹ 2,725.22 करोड़ हो गए, जो मुख्यत: स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (₹ 1,537.57 करोड़) में कमी के कारण था। वर्ष 2015-16 के दौरान नकद शेष निवेशों से प्राप्त ₹ 186.49 करोड़ का ब्याज वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 79.70 करोड़) से ₹ 106.79 करोड़ तक बढ़ गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखने के लिए 2015-16 के दौरान कोई साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया था।

1.8.8 'चैक्स एंड बिल्स' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक्स एंड बिल्स लेन-देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख इंटरमीडियरी अकाउंट हैड को निरूपित करता है। 1 अप्रैल 2015 को ₹ 0.11 करोड़ की राशि बकाया थी। वर्ष के दौरान ₹ 0.06 करोड़ का समायोजन करने के पश्चात अंतिम शेष ₹ 0.05 करोड़ रहा।

सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान 8.15 प्रतिशत से 8.51 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दर पर खुले बाजार से ₹ 14,100 करोड़ का ऋण लिया था यद्यपि कैश बैलेंस इनवेस्टमेंट अकाऊंट में शेष 31 मार्च 2015 को ₹ 2,571.52 करोड़ से ₹ 1,601.60 करोड़ तक बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 4,173.12 करोड़ हो गया था जोकि 5 से 5.50 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दर पर निवेशित किया गया था। यह दर्शाता है कि राज्य ने नए उधार लेने से पहले अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग नहीं किया था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की वृद्धि एवं संघटन

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2016 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार गत चार वर्षों की तदनुरूपी स्थिति से तुलना करके ***परिशिष्ट 1.5 (भाग क एवं ख)*** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यत: आन्तरिक उधार, भा.स. से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को ***परिशिष्ट 1.5 भाग-ख*** में प्रस्तुत किया गया है। 2011-16 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **तालिका 1.26** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: 2011-12 से 2015-16 तक राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां

राजकोषीय देयता के घटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आंतरिक ऋण	39,343	48,680	58,143	68,797	99,660
केंद्र सरकार से ऋण	2,053	1,978	2,151	2,128	2,049
लोक लेखा देयताएं	13,144	14,160	15,969	17,521	19,009
कुल	**54,540**	**64,818**	**76,263**	**88,446**	**1,20,718**
वृद्धि दर	17.84	18.84	17.66	15.97	36.49
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	178.48	192.72	200.63	216.78	253.84
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से उत्प्लावकता	0.91	1.87	1.36	2.18	2.20
जी.एस.डी.पी. का अनुपात	18.13	18.50	19.27	20.02	24.50

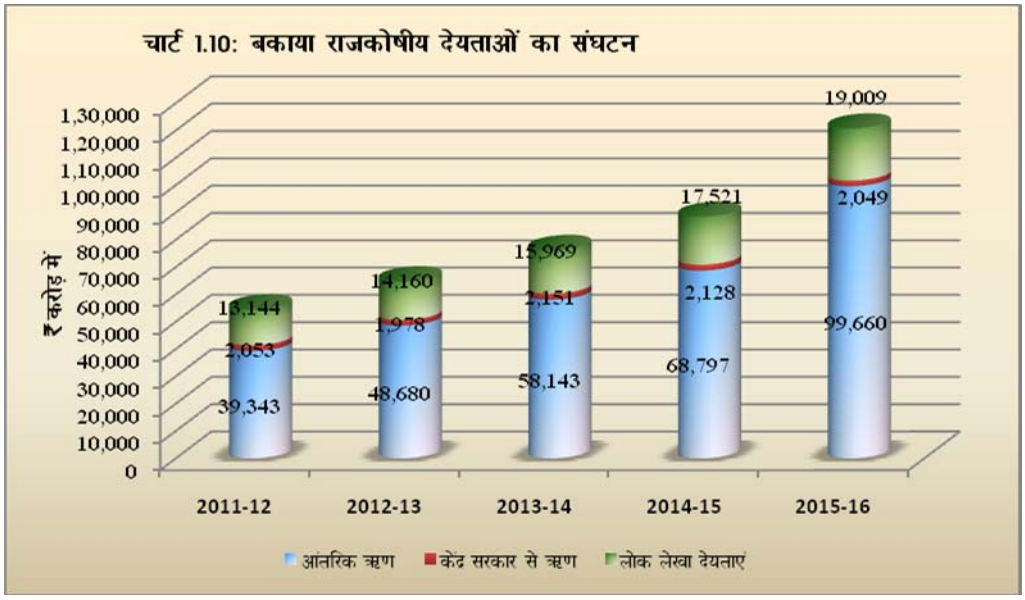

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2011 – 12 में ₹ 54,540 करोड़ से मुख्यत: लोक ऋण (₹ 60,313 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 5,865 करोड़) में वृद्धि के कारण 121.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2015 – 16 में ₹ 1,20,718 करोड़ हो गई। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2011 – 12 में 18.13 प्रतिशत से बढ़कर 2015 – 16 में 24.50 प्रतिशत हो गई। 2015 – 16 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.54 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 3.38 गुणा थी। वर्ष 2015 – 16 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 8,284 करोड़ (6.86 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 1,20,718 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2015 – 16 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 98,843 करोड़ की सीमा से अधिक थी तथा स.रा.घ.उ. के 19.28 प्रतिशत के मानकीय निर्धारण के विरूद्ध उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को शामिल करके 24.50 प्रतिशत एवं उदय स्कीम पर लिए गए ऋण को छोड़कर 20.99 प्रतिशत थी।

राज्य सरकार ने खुले बाजार ऋणों को छुड़ाने के लिए 2002 में समेकित सिंकिंग फंड स्थापित किया। दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अंत में बकाया खुले बाजार ऋणों का एक से तीन प्रतिशत निधि को अंशदान किया जाना अपेक्षित है।

सरकार ने 2015 – 16 के लिए समेकित सिंकिंग फंड को अंशदान देने के लिए ₹ 525 करोड़ का बजट प्रावधान किया। निधि में ₹ 262.50 करोड़ की राशि का अंशदान किया गया था तथा वर्ष 2015 – 16 के दौरान निवेश पर ब्याज के रूप में ₹ 103.26 करोड़ अर्जित किए गए थे। कोई संवितरण नहीं किए गए थे तथा निधि में ₹ 1,519.06 करोड़ की राशि थी।

एक प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक के प्रीमियम पर खरीदी गई इन निधियों का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया था परिणामस्वरूप 2015 – 16 के दौरान ₹ 11.52 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इतने बड़े प्रीमियम पर निधि के निवेश के बारे में वित्त विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने मामला, भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित किया (अगस्त 2016)।

1.9.3 रिजर्व फंड

राज्य सरकार ने वित्त लेखा की विवरणी संख्या 21 में दिए गए विवरणानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 12 रिजर्व फंडस परिचालित किए। जिनमें से 9 फंडस एक्टिव हैं तथा कृषि प्रयोजनों के लिए विकास फंडस, औद्योगिक विकास फंडस तथा खाद्यान्न रिजर्व फंडस नामक तीन फंडस 5 से 32 वर्षों से अपरिचालित हैं।

2015 – 16 के प्रारंभ में रिजर्व फंड ₹ 4,173.52 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 698.81 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 1,709.62 करोड़ के वितरण के कारण अंतिम शेष ₹ 3,162.71 करोड़ का था। अपरिचालित फंडस में वर्ष 2015 – 16 की समाप्ति पर ₹ 12.27 करोड़ के अंत शेष हैं।

एक प्रमुख रिजर्व फंड होने के कारण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में ₹ 1,950.14 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2015 – 16 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 203.43 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य हिस्से के रूप में ₹ 67.81 करोड़ (75:25 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। अत: निधि में कुल ₹ 271.24 करोड़ का अंशदान किया जाना था। यद्यपि, 2015 – 16 के लिए बजट में

₹ 308 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु निधि के निवेश पर अर्जित ₹ 122.57 करोड़ की राशि के ब्याज को छोड़कर राज्य सरकार ने निधि में कोई अंशदान नहीं किया तथा 2015-16 के दौरान निधि को सरकारी अंशदान के रूप में माने गए रा.आ.प्र.नि. से प्राप्त किए गए एम.एच. 2245 के अंतर्गत ₹ 38.72 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा जारी निधियों ने भी 2015-16 के दौरान रा.आ.प्र.नि. को पूरी तरह अंशदान नहीं किया।

राज्य सरकार ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खजाने के माध्यम से दिए जाने की बजाए निधि से चैकों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से संवितरित (₹ 1,689.87 करोड़) किए। तथापि, यह जांच नहीं की जा सकी कि व्यय अभिप्रेत प्रयोजन के लिए किया गया था। निधि ₹ 412.57 करोड़ पर बंद की गई थी। मामला राज्य सरकार को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2016)।

1.9.4 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएं

ऋण लेने वालों, जिनके लिए गारंटियां दी गई हैं, द्वारा ऋण वापस न करने पर गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा गारंटियां जारी करने की अधिकतम सीमा के लिए संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियां **तालिका 1.27** में दी गई हैं।

तालिका 1.27: हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
फीस सहित गारंटियों की बकाया राशि	5,608	21,124	27,309	30,389	16,886
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि की प्रतिशतता	18	63	72	74	36

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2015-16 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2016 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 16,886 करोड़ की बकाया राशि विद्युत (₹ 14,473 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 1,254 करोड़) तथा निगमों, बोर्डो एवं सरकारी कम्पनियों (₹ 1,159 करोड़) के संबंध में थी।

सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों की ओर से जारी की गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को चुकाने के लिए 2003-04 के दौरान गारंटी रिडंपशन निधि की संरचना की। निधि के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक अथवा आवधिक अंशदानों के साथ एकत्र की गई गारंटी फीस राज्य सरकार द्वारा निधि को अंतरित की जानी अपेक्षित है। निधि का प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को ₹ 843.42 करोड़ शेष थे (₹ 30,621.76 करोड़ पर पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का 2.75 प्रतिशत) जोकि निवेश किया गया रहा। सरकार ने 2015-16 के दौरान निवेश पर अर्जित ₹ 61.86 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 28.42 करोड़ का योगदान निधि में दिया। 2015-16 के दौरान गारंटियों सहित कुल देयताएं ₹ 1,37,604 करोड़ (₹ 1,20,718 करोड़ + ₹ 16,886 करोड़) रही जोकि स.रा.घ.उ. का 27.93 प्रतिशत थी। आगे, यह देखा गया कि दो से 11 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित प्रीमियम पर

खरीदी गई निधियां, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी परिणामत: ₹ 4.37 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। मामला वित्त विभाग को संदर्भित किया गया; बदले में उन्होंने मामला, भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित किया तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2016)।

1.10 ऋण प्रबंध

तालिका 1.28 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक ऋण प्रोफाइल का टाइम सीरिज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.28: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल तथा प्रति व्यक्ति ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में
2011-12	32,485.97	11,643.38	4,786.52	39,342.83	6,856.86	21.11	15,489
2012-13	39,342.83	15,509.16	6,171.45	48,680.54	9,337.71	23.73	19,166
2013-14	48,680.54	17,371.48	7,908.87	58,143.15	9,462.61	19.44	22,891
2014-15	58,143.15	18,727.99	8,073.67	68,797.47	10,654.32	18.32	27,086
2015-16	68,797.47	37,901.20	7,038.54	99,660.13	30,862.66	44.86	39,236

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2011-12 में ₹ 32,486 करोड़ से ₹ 67,174 करोड़ (207 प्रतिशत) बढ़कर 2015-16 में ₹ 99,660 करोड़ हो गया। 2015-16 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 6,466 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य की ऋण पोषण क्षमता को निश्चित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सैक्शन बकाया उधार वृद्धि की दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; उधार पुनर्भुगतान तथा उधार प्राप्ति; राज्य को उपलब्ध निवल उधार के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। **तालिका 1.29** 2011-12 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.29: ऋण पोषण क्षमता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बकाया लोक उधार	41,396.10	50,658	60293	70,925	1,01,709.05
बकाया लोक उधार की वृद्धि की दर	19	22	19	17	43.40
स.रा.घ.उ.	3,00,756	3,50,407	3,95,748	4,41,864	4,92,657
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	15	16	12	11	11.50
बकाया उधार की औसत ब्याज दर (प्रदत्त ब्याज/लोक उधार का आ.शे.+लोक उधार का अं.शे./2)	8	8	8	9	7.61
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	13	14	15	16	17.42
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	37	39	45	43	18.99
राज्य के पास उपलब्ध निवल उधार	4,642	6,138	6,045	5,254	24,727

(कोष्ठकों में आंकड़े राज्य के कुल ऋण से प्रतिशतता को सूचित करते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2011-16 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक उधार 145.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2011-12 में ₹ 41,396 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 1,01,709 करोड़ हो गए। 2011-12 से 2015-16 की अवधि पर वृद्धि की दर 17.63 प्रतिशत तथा 43.40 प्रतिशत के मध्य रही। लोक उधार पिछले वर्ष में 17.63 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 43.40 प्रतिशत की दर पर बढ़ गया जो कि मुख्यत: उदय के अंतर्गत सरकार द्वारा लिए गए विद्युत कंपनियों के ₹ 17,300 करोड़ (भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भाग लेने वाले लेंडर बैंकों को जारी किए गए बॉण्डस) की राशि के उधार लेने के कारण है।

स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर 2011-12 में 15.40 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 16.51 प्रतिशत हो गई, 2013-14 में 12.94 प्रतिशत की घटती प्रवृत्ति दर्ज करते हुए 2015-16 में 11.50 प्रतिशत हो गई किंतु अभी भी लोक उधार के ब्याज की औसत दर से उच्चतर थी जो कि 2011-16 की अवधि में 7.61 प्रतिशत तथा 9.14 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित है। राज्य को ऋण प्राप्ति पर निर्भर करने की बजाय सुदृढ़ वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधन संघटन प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है।

राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 2011-12 में 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 17.42 प्रतिशत हो गया जो दर्शाता है कि लोक उधार पर ब्याज भुगतान बढ़ रहा था परिणामस्वरूप विकास के लिए निधियों की कम उपलब्धता थी।

उधार प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में उधार भुगतान ने 2011-12 में 37.49 प्रतिशत से 2013-14 में 45.32 प्रतिशत तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई, 2014-15 में जरा सा घटकर 43.62 प्रतिशत हो गया तथा 2015-16 में 18.99 प्रतिशत रहा जो दर्शाता है कि लोक उधार प्राप्ति, लोक उधार भुगतान से उच्चतर दर पर बढ़ रही थी परिणामस्वरूप राजस्व के अपने संसाधनों की अपेक्षा उधार प्राप्ति पर अधिक निर्भरता थी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तो में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को तीन मूल राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा इंगित करते हैं। यह सैक्शन, इन घाटों की प्रवृति, स्वरूप, मात्रा और इन घाटों के वित्त पोषण की पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.11 2011-16 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

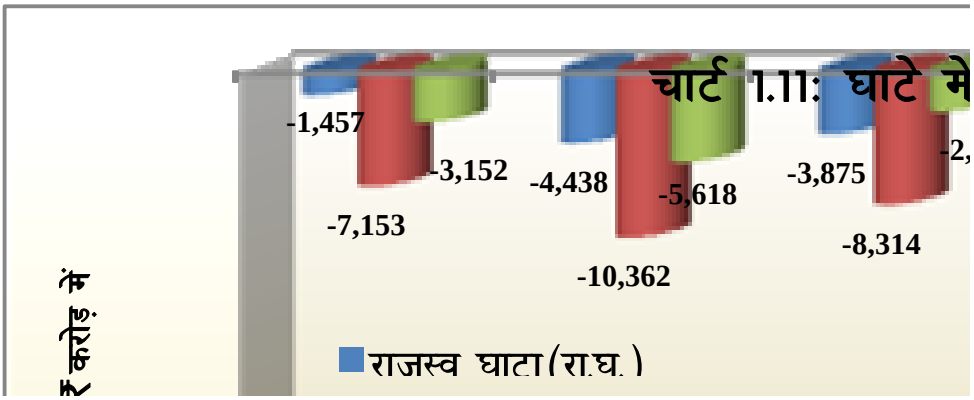

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. के अनुसार 2011 – 12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014 – 15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2014 – 15 के दौरान क्रमश: ₹ 8,319 करोड़, ₹ 12,586 करोड़ और ₹ 5,658 करोड़ था, 2015 – 16 में क्रमश: ₹ 11,679 करोड़, ₹ 31,479 करोड़ और ₹ 23,195 करोड़ तक बढ़ गया। वर्ष 2015 – 16 के लिए बजट में राजस्व घाटे का ₹ 9,557.52 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा राजकोषीय घाटा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 3.14 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध स.रा.घ.उ. का 6.39 प्रतिशत था ***(परिशिष्ट 1.6)***। तथापि, राजकोषीय घाटा उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को छोड़कर स.रा.घ.उ. के 2.88 प्रतिशत पर वर्ष 2015 – 16 के लिए एफ.आर.बी.एम., म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 3.14 प्रतिशत की सीमा के भीतर था।

1.11.2 राजकोषीय घाटा और इसकी वित्त पोषण पद्धति का संघटन

तालिका 1.30 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2015 – 16 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण **तालिका 1.31** में दिए गए हैं।

तालिका 1.30: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय घाटे के घटक		(-) 7,153	(-) 10,362	(-) 8,314	(-) 12,586	(-) 31,479
1	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 1,457	(-) 4,438	(-) 3,875	(-) 8,319	(-) 11,679
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-) 5,363	(-) 5,751	(-) 3,925	(-) 3,697	(-) 6,878
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 333	(-) 173	(-) 514	(-) 570	(-) 12,922
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति						
1	मार्किट उधार	5,994.89	8,574.38	10,621.36	12,372.99	13,168.29
2	भा.स. से ऋण	(-) 127.17	(-)75.54	173.08	(-) 22.98	(-) 78.91
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(-) 329.47	(-)91.55	28.07	707.45	1,012.11
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,191.44	854.88	(-)1,186.82	(-)2,426.12	16,682.26
5	लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	718.53	457.96	720.99	1,041.05	1,048.64
6	रिजर्व निधि	(-) 16.65	(-)39.09	2.29	38.97	70.72
7	जमा एवं अग्रिम	826.54	597.05	1,086.43	471.42	369.27
8	उचंत एवं विविध	406.73	370.77	(-) 3948.95	1,145.54	(-) 1,583.19
9	प्रेषण	214.88	(-)72.60	(-) 0.25	(-) 13.89	(-) 19.15
10	**ओवर आल सरप्लस (-) घाटा (+)**	**8,879.72**	**10,576.26**	**7,496.20**	**13,314.43**	**30,670.04**
11	नकद शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(-) 1,726.40	(-)214.43	(+) 817.28	(-) 728.38	(+) 809.47
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**7,153**	**10,362**	**8,314**	**12,586.05**	**31,479.51**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

*** 8999 – रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।**

तालिका 1.31: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	1,40,99.99	931.70	13,168.29
2	भा.स. से ऋण	97.23	176.14	(-) 78.91
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,721.40	709.29	1,012.11
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	22,079.81	5,397.55	16,682.26
5	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,967.99	1,919.35	1,048.64
6	जमा और अग्रिम	17,632.50	17,263.23	369.27
7	रिजर्व निधियां	2,388.68	2,317.96	70.72
8	उचंत एवं विविध	1,03,084.73	1,04,667.92	(-) 1,583.19
9	प्रेषण	7,193.95	7,213.10	(-) 19.15
10	**समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)**			**30,670.04**
11	नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)			809.47
12	**कुल राजकोषीय घाटा**			**31,479.51**

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

2013-14 में बाजार उधारों का योगदान ₹ 13,168 करोड़ था जो कि 2014-15 में ₹ 12,373 करोड़ से ₹ 795 करोड़ अधिक था। घाटे को पोषित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य उपाय, वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 16,682 करोड़), राज्य भविष्य निधि में वृद्धि (₹ 1,049 करोड़) और जमाओं में वृद्धि (₹ 369 करोड़) थी।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करते हैं। प्राथमिक घाटे के द्विभाजन **(तालिका 1.32)** से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि, जोकि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है, के कारण घाटे में कितना योगदान है।

तालिका 1.32: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-फैक्टरज का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+4+5)**	**7 (2-3)**	**8 (2-6)**
2011-12	30,861	28,014	5,372	627	34,013	2,847	(-) 3,152
2012-13	33,994	33,328	5,762	522	39,612	666	(-)5,618
2013-14	38,284	36,037	3,935	776	40,748	2,247	(-) 2464
2014-15	41,091	42,190	3,716	843	46,749	(-) 1,099	(-) 5,658
2015-16	47,915	50,952	6,908	13,250	71,110	(-) 3,037	(-) 23,195

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

पिछले वर्ष का प्राथमिक राजस्व घाटा 2015-16 के दौरान आगे ₹ 3,037 करोड़ तक बढ़ गया क्योंकि प्राथमिक राजस्व व्यय गैर-ऋण प्राप्तियों से तेजी से बढ़ गया। यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्तियां, प्राथमिक राजस्व व्यय को वहन करने में भी कम पड़ गई तथा प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां, प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की गई थी।

1.12 निष्कर्ष

2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियां मुख्यत: कर राजस्व ₹ 3,294.52 करोड़ (11.92 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से ₹ 6,757.89 करोड़ (16.56 प्रतिशत) तक बढ़ गई। 2015-16 के लिए कर-राजस्व चौ.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों के 18.71 प्रतिशत तक कम पड़ गया तथा कर-भिन्न राजस्व 15.16 प्रतिशत तक बढ़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 2,010.48 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-15 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 75 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 40,675 करोड़ था, जो म.अ.वि.नी.वि. (₹ 43,209 करोड़) के प्रक्षेपण से 5.86 प्रतिशत कम था जिसमें से 82 प्रतिशत व्यय चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियों, पैंशन देयताओं, ब्याज भुगतानों और सबसीडियों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सबसीडियों (₹ 6,899 करोड़) का 92 प्रतिशत (₹ 6,324 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच वर्षों में 0.02 तथा 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 8.64 से 9.86 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया।

राजस्व घाटा जो 2011-12 के दौरान शून्य तक लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2014-15 में ₹ 8,319 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 11,679 करोड़ हो गया। अन्य राजकोषीय मानकों अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2014-15 में क्रमश: ₹ 12,586 करोड़ और ₹ 5,658 करोड़ रही, 2015-16 में क्रमश: ₹ 31,479 करोड़ (250.11 प्रतिशत) और ₹ 23,195 करोड़ (409.95 प्रतिशत) तक बढ़ गई।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2016 को ₹ 1,20,718 करोड़ थी। राजकोषीय देयताएं स.रा.घ.उ. का 24.50 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.54 गुणा थी।

2015-16 के अंत पर राज्य का नकद शेष निवेश लेखा ₹ 1,601.60 करोड़ तक बढ़ गया तथा 5 एवं 5.5 प्रतिशत के मध्य ब्याज अर्जित किया जबकि सरकार ने 8.64 प्रतिशत की औसत पर उधार लिया।

सरकार के आंतरिक ऋण 2014-15 में ₹ 68,797 करोड़ से बढ़कर 2015-16 के दौरान ₹ 99,660 करोड़ (44.86 प्रतिशत) हो गए। 2015-16 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 6,466 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। 2015-16 के दौरान रिसोर्स गैप निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय, उधार ली गई निधियों से आंशिक रूप से वहन किया गया था।

1.13 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

(i) पावर सैक्टर की बेहतर कर अनुपालना तथा बुद्धिसंगत सबसिडी सुनिश्चित करके कर एवं कर-भिन्न उपायों के माध्यम से गतिशील अतिरिक्त संसाधनों की संभावना खोजना;

(ii) राज्य की समेकित निधि में सभी राजस्व प्राप्तियों को जमा करना तथा राज्य विधान सभा की स्वीकृति के बाद व्यय करना;

(iii) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना, अनुकूल योजना बनाना तथा उनके पुनरूद्धार के लिए इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; तथा

(iv) केवल आवश्यकता आधारित उधारों का आश्रय लेना तथा नए उधारों का आश्रय लेने से पूर्व अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग करना।